राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–128/2017/धौलपुर

राजस्थान सरकार
जरिये उप पंजीयक, धौलपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स नरेन्द्र कुमार द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार,
   सी–25, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग,
   नई दिल्ली–26
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश
   निगर लि0, (रीको) धौलपुर .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

दिनांक : 14/09/2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी राजस्व द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर, वृत भरतपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के प्रकरण संख्या 130/2013 आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 को रीको औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर में आवंटित भूखण्ड संख्या जी–1/81 का दस्तावेज पंजीयन नहीं करवाने के कारण दस्तावेज पंजीयन करवाने/मुद्रांक कर की वसूली हेतु उप पंजीयक, धौलपुर ने रेफरेन्स कलेक्टर मुद्रांक के समक्ष पेश किया। प्रस्तुत रेफरेन्स को कलेक्टर मुद्रांक ने अपने आदेश दिनांक 10.06.2015 द्वारा अस्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह निगरानी अधिनियम की धारा 65 के तहत मय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलक्टर मुद्रांक का निर्णय तथ्यों एवं रिकॉर्ड के आधार पर उचित नहीं है। प्रार्थी

निरन्तर.....2

को आवंटित भूखण्ड वर्ष 2008 में आवंटन के समय ही लीज के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी थी, जो उनके द्वारा समय पर अदा नहीं की गई है। अतः उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

4. बहस के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि संबंधित पक्षकार द्वारा निर्धारित तिथि तक भूखण्ड पर निर्माण एवं उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने के कारण RIICO द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 20.01.2013 से निरस्त कर दिया गया एवं इसी कारण से कलक्टर मुद्रांक ने कार्यवाही ड्रॉप की है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड उनके स्वामित्व में नहीं है, जिससे उन पर किसी प्रकार के मुद्रांक अदा करने की देयता नहीं बनती है। अतः उन्होंने कलक्टर मुद्रांक के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा मयाद अधिनियम (Limitation Act, 1963) की धारा 5 के तहत प्रस्तुत देरी माफी के प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

6. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर मुद्रांक द्वारा पारित निर्णय निम्नानुसार हैं:–

> *"महालेखाकार राज0 जयपुर के द्वारा रीको कार्यालय में लिये गये ऑडिट आक्षेप वर्ष 2010–11 के आक्षेप संख्या 5.4.1 की अनुपालना में भूखण्ड संख्या जी 1–81, वाके औद्योगिक क्षेत्र बाडी, धौलपुर की लीजडीड पंजीयन करवाने हेतु उपपंजीयक धौलपुर ने रेफरेन्स इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष को नोटिस जारी किया गया।*
>
> *सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको लि0 धौलपुर की ओर से रीको कार्यालय के पत्रांक 862 दिनांक 09.09.15 की छायाप्रति पेश कर निवेदन किया कि संबंधित पक्षकार द्वारा निर्धारित तिथि तक भूखण्ड पर निर्माण एवं उत्पादन प्रारंभ नहीं करने के कारण निगम द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 20.01.13 से निरस्त कर दिया गया है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।*
>
> *अतः कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।"*

7. उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि0, (RIICO) धौलपुर द्वारा धौलपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना प्रयोजनार्थ भूखण्ड आवंटित किया गया था, परन्तु जिसका लीज़–डीड निष्पादित

निरन्तर.....3

ही नहीं हुआ, अतः ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक, RIICO भरतपुर द्वारा उप–महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) भरतपुर को पत्र दिनांक 14.03.2012 के द्वारा आवंटित इकाईयों/उद्यमियों द्वारा आवंटित भूखण्डों का लीज़–डीड निष्पादित नहीं करवाया गया है अतः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा ऐसे उद्यमियों के विरूद्ध लीज़–डीड निष्पादन एवं पंजीयन हेतु प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया गया है। RIICO का उक्त पत्र क्रमांक 4956 दिनांक 14.03.2012 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 6 उप उपलब्ध है, निम्नानुसार है:–

"उपमहानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),
भरतपुर वृत, भरतपुर

विषयः– महालेखाकार राजस्थान सरकार द्वारा मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण विषय पर विभाग की समीक्षा के तथ्यात्मक विवरण (F.S.) वर्ष 2010–11 के आक्षेप सं. 5.4.1 के क्रम में।

सन्दर्भः– आपका आ.शा. पत्रांकः पंमु/मु.करव पं.शु. के आरोपण एवं संग्रहण/2012/392 दिनांक 15.02.12

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस इकाई कार्यालय के अधीन जिला – धौलपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में जिन उद्यमियों द्वारा लीजडीड का निष्पादन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है ऐसे सभी उद्यमियों को धौलपुर कार्यालय द्वारा लीजडीड निष्पादन एक माह में कराने हेतु नोटिस जारी किए गये है जिन उद्यमियों के द्वारा एक माह के अन्दर लीजडीड का निष्पादन कार्य नहीं कराने पर निस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी जिनकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि आप लीजडीड पंजीयन के अभाव में उप पंजीयक धौलपुर के माध्यम से कलक्टर मुद्रांक भरतपुर के यहां प्रकरण दर्ज कराने हेतु निर्देशित करने की व्यवस्था करें ताकि उद्यमियों पर लीजडीड निष्पादन कराने हेतु दबाव बन सके।

सधन्यवाद

भवदीय
ह0
क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लि., भरतपुर"

8. उक्त पत्र के अवलोकन से यह तथ्य बिना किसी विवाद के स्पष्ट है कि लीज़–डीड निष्पादित (execute) ही नहीं किया गया है तथा RIICO धौलपुर के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 09.09.2015 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 3 पर उपलब्ध है, द्वारा कलक्टर मुद्रांक को यह भी सूचित कर दिया गया है कि भूखण्ड आवंटी द्वारा निर्माण एवं उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण निगम द्वारा दिनांक 20.01.2013 को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त भूखण्ड किसी अन्य उद्यमी को आवंटित कर दिया गया है।

निरन्तर.....4

9. उल्लेखनीय है कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी केवल निष्पादित (executed) अभिलेखीय विपत्रों (instruments) पर ही देय होती है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि RIICO तथा अप्रार्थी संख्या 1 के बीच लीज़—डीड निष्पादित ही नहीं हुई है, अतः ऐसी दशा में स्टाम्प ड्यूटी की कोई देयता नहीं बनती है। अतः कलक्टर मुद्रांक के निगरानीधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से पुष्टि किये जाने योग्य हैं। उप—पंजीयक ने मात्र ऑडिट आक्षेप के आधार पर कलक्टर मुद्रांक को रेफरेन्स प्रेषित कर दिया जबकि लीज़—डीड निष्पादित (execute) ही नहीं हुआ था, अतः ऐसी स्थिति में उप—पंजीयक को रेफरेन्स प्रेषित करने के स्थान पर महालेखाकार के अंकेक्षण दल को प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति अवगत करवाते हुए प्रत्युत्तर भेजना चाहिए था, जिससे कि ऑडिट आक्षेप ड्रॉप किया जा सकता।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार कलक्टर मुद्रांक द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत पाये जाने से उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

14.09.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य